

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य एबीएसटी के पद पर रा.महाविद्यालय नागौर पदस्थापन होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करें।

क्रम	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	गणेश नारायण मूँघड़ा, व्या0 वाणिज्य राएमएमउमावि बीकानेर	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक- एफ.1(23-27)RPSC/App/HRD /2017 / 4632 जयपुर दिनांक 05.10.2018

उक्त कार्मिक अगर परिवीक्षाधीन अवधि में हैं तो इनका विभाग में लियन नहीं रहेगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक- 8/10/18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/एनओसी/2018

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 4 संबंधित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक
- 6 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर